

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

क रीडर/2025/ 8112

दिनांक - 03.09.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 देदाराम पुत्र
उम्मेदाराम 2 नेनू पत्नि
बालाराम जातियान
जाट निवासी करनपुर
तहसील बाटाडू जिला
बाड़मेर।

1 दलाराम पुत्र बरताराम 2 टीकमाराम पुत्र लालाराम 3 जोगाराम
पुत्र लाखाराम 4 मानीदेवी पत्नि लाखाराम 5 रेखाराम पुत्र
अलसाराम 6 रामाराम पुत्र लाखाराम 7 आईदानराम 8 ताजाराम
पिसरान आसूराम 9 जेठाराम 10 रावताराम पिसरान तिलोकाराम 11
लिच्छूदेवी पत्नि तिलोकाराम 12 जोगाराम पुत्र लाखाराम 13
मानीदेवी पत्नि लाखाराम 14 रेखाराम पुत्र अलसाराम 15 रामाराम
पुत्र लाखाराम 16 घमण्डाराम 17 पूनमाराम 18 शेराराम पिसरान
उमाराम 19 खेताराम पुत्र गुणोशाराम जातियान जाट 20 तनसिंह 21
बख्तावरसिंह 22 हिन्दुसिंह पिसरान दौलतसिंह जातियान राजपूत
निवासी करनूर (चौखाला) तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 365/2025 दिनांक- 01/09/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा करनपुर पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत
खसरा संख्या 226/170 रकबा 5.9574 हैक्टेयर, खसरा संख्या 231/170 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा
संख्या 235/170 रकबा 4.6922 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी
करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व
प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी
फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992
के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे
एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 8113-16

दिनांक- 03.09.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चौखला तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी देदाराम पुत्र उम्मेदाराम जाति जाट निवासी करनपुर तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण दलाराम पुत्र बरताराम जाति जाट निवासी करनपुर तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर